निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ. 04( )/आरएमएससी/ 2013/2351 दिनांक : 15.05.2013

समस्त प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज एवं समस्त अधीक्षक व सम्बद्ध अस्पताल,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय :– Short Supply, Excess Drug & Near Expiry Drug के समुचित प्रबन्धन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आरएमएससी द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं की संख्या व मात्रा में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। सामान्यतया औषधियॉ सम्बन्धित संस्थान की अनुमानित वार्षिक मांग अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, पर यह समझना आवश्यक है कि औषधियों की सप्लाई (Supply of Drugs) एक दुधारी तलवार (Double edged sword) की तरह है, जहां एक तरफ कुछ दवाओं की कमी (Short Supply) रह जाती है वही दूसरी ओर कुछ दवाओं की अधिकता (Excess Drugs) रहती है जो कुछ माह पश्चात अवधिपार तिथि के निकट दवा (Near Expiry Drugs) बन जाती है। अतः ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है जिसमे औषधियों की न तो कमी हो, न अधिकता हो व कोई औषधि अवधिपार भी न हो और सभी दवाएं **"आदर्श भण्डार मात्रा" (Optimum Stock Level)** में रहे। इसके लिए औषधियों के क्रय (RMSC), भण्डारण (DDW & Hospital Substore) एवं उपभोग (Prescription by Doctors) में गहन समन्वय (Co-Ordination) आवश्यक है। जिससे कोई भी रोगी आवश्यक दवा से वंचित न रहे व कोई भी दवा अवधिपार भी न हो। उपरोक्त को क्रियान्विति हेतु आपके जिले की निम्न औषधियों की सूची भेजी जा रही है :–

1. List of drugs for short supply management. → By local purchase or alternate Prescription.
2. List of drugs for excess drug management. → By sensitising doctors to utilize them in time.
3. List of drugs for near expiry drug management. → By sensitising doctors to utilize them in time.

उपरोक्त सूचियों का अध्ययन कर निम्न स्थानों पर प्रतिमाह बैठके आयोजित की जानी है। जिसमें मेडिकल कॉलेज–प्रिंसीपल, अधीक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अन्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी–जिला औषधि भण्डार, स्टोर इंचार्ज, डीडीसी फार्मासिस्ट उपरोक्त सूचियों को परिचालित (Circulate) व शेयर करें व निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित कराएं :–

I. मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर आयोजित होने वाली प्रतिमाह समीक्षा बैठक का आयोजन अधीक्षक की अध्यक्षता में किया जायेगा।
II. जिला अस्पताल पर आयोजित होनी वाली प्रतिमाह समीक्षा बैठक का आयोजन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) की अध्यक्षता में किया जायेगा।
III. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए जिला स्तर प्रतिमाह आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी जिला ओषधि भण्डार द्वारा उक्त समीक्षा बैठक का समन्वय (Co-Ordination) किया जायेगा। इस हेतु राशि रू0 5000/– की सीमा तक मासिक व्यय अनुमत किया हुआ है।

1. Short Supply Drug Management – आरएमएससी द्वारा आवश्यक दवाईयॉ उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन कुछ दवाओं की निविदा मात्रा (Tender Qty.) पूर्ण होने तथा कुछ दवाईयों की दर अनुबन्ध (Rate Contract) में समय लगने से या फर्म द्वारा कुछ दवाईयों की

सप्लाई समय पर न कर पाने ईत्यादि कारणों से कुछ दवाईयॉ जिलों में कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः अनुपलब्ध दवाओं को सभी जिलों में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013–14 में बजट स्थानीय क्रय (Local Purchase) के लिए सभी जिलों में उपलब्ध करवाया गया (सूची संलग्न) है। जिससे निःशुल्क दवा सूची के साथ–साथ अन्य Specialised Drugs भी आवश्यक होने पर क्रय की जा सकती है (Budget allotted for this financial year enclosed). आवश्यक दवा सूची के अतिरिक्त दवा उपलब्ध कराने हेतु Drug & Therapeutic Committee की सहमति होने पर स्थानीय क्रय की जा सकती है।

2. Excess Drug Management – राज्य स्तर पर दवाईयों के मॉनिटरिंग के दौरान पाया गया कि बहुत से जिलों मे कुछ दवाईयॉ वेयर हाउसों में अधिक मात्रा (Excess) में संग्रहित है, जिनका उपयोग या तो नहीं हो रहा है (Non Moving Drugs) या बहुत कम (Slow Moving Drugs) हो रहा है। जबकि ये दवाईयॉ जिलों से MCH/CMHO/PMO के मांग के आधार पर ही खरीदी गई है अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष में संस्थाओं ने जो मांग भेजी है उसके अनुसार डीडीडब्ल्यू से दवाएं प्राप्त की जाए। जिससे समय रहते दवाओं का समुचित उपयोग हो सके व डीडीडब्ल्यू में नई दवाईयों को रखने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके। साथ ही डीडीडब्ल्यू भी प्रथम व द्वितीय वर्ष में संस्थाओं से प्राप्त मांग के अनुसार दवाईयॉ उपभोग हेतु संस्थाओं को लिखवाने की कार्यवाही कराएं।

3. Near Expiry Drug Management - कम अवधिपार पर Slow Moving वाली औषधियों को भी उनकी निर्धारित शैल्फ लाईफ के भीतर ही उपभोग कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए समन्वित प्रयास किये जावे।

4. वैकल्पिक दवाओं का उपयोग – यह भी देखने में आया है कि कुछ रोगों की बहुत सी दवाएं उपलब्ध है पर जानकारी के अभाव में चिकित्सक वे दवा या वह मात्रा (Strength) लिख देते है जो अनुपलब्ध है। जैसे :– Aspirin 300mg अत्यधिक मात्रा में है पर 150 mg या 75 mg लिखने पर मरीज को निजी दवा विक्रेता (Private chemist) से लानी पड़ती है। जबकि इसी गोली को ½ या ¼th O.D. लिखा जा सकता है। अतः दवा की उपलब्धता अनुसार ही उपभोग की व्यवस्था की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाकर संस्थान प्रभारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उक्त आदेश प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन पश्चात जारी किये गये है।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
2. गार्ड फाईल।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग